न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– निग – 818 – II –16

हेमन्त कुमार श्रीवास्तव तनय प्रेमनारायण श्रीवास्तव निवासी बल्देवगढ़ हाल निवासी टीकमगढ़ वर्मा सैल पेट्रोल पंप के सामने, जतारा रोड, टीकमगढ़ म.प्र.

.....निगराकार आवेदक

बनाम्

रमाशंकर मिश्रा तनय रतनलाल ब्राह्मण (मिश्रा) निवासी बल्देवगढ़ तह.–बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

...प्रतिनिगराकार/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ मामला क्रमांक 02/15–16 सीमांकन बावत प्रकरण की श्रेणी अ–12 ग्राम बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ आदेश दिनांक 16–11–2015 राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ के पारित आदेश के प्रतिकूल।

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

{1} यह कि, निर्णय एवं आदेश अधीनस्त राजस्व मण्डल राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वाक्यात पत्रावली के विरूद्ध है।

{2} यह कि, अधीनस्त निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ ने धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता में बने नियमों का पालन नहीं किया है एवं मनमाने तौर पर अवैध अनयमित एवं गैर कानूनी आदेश पारित कर संहिता में बने नियमों का उल्लंघन किया है जिससे उक्त आदेश स्थिर रखने लायक नहीं है व खारजी योग्य है।

{2} यह कि, अधीनस्त राजस्व मण्डल (राजस्व निरीक्षक) ने प्रभावित व संबंधी कास्तकारों को कोई सूचना नहीं दी, न ही आवेदक को कोई विधिवत सूचना दी गई, जो सीमांकन नियमों के विरूद्ध है, इस कारण किया गया सीमांकन गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

.........2

R 818/16 [illegible]

27.9.16.

[illegible] [illegible]

आवेदक की ओर से [illegible] की। [illegible] हो। पश्चात [illegible] हो।

[signature]

अध्यक्ष

31/8

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.

[initials]